पत्र संख्या-संख्या- 111 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संख्या-अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक::मई :: 7 , 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर/
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर (खण्डों में कार्यरत)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रदेश में राजस्व संग्रह में शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में समुचित वृद्धि अपेक्षित है। उक्त हेतु विभागीय ढॉचे में कतिपय परिवर्तनों की आवश्यकता प्रतीत होती है। व्यापारियों द्वारा दाखिल रुपपत्रों का पयर्वेक्षण, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन विभाग में 441 खण्डों के माध्यम से तथा उक्त खण्डों के ऊपर प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार 45 सम्भागों एवं 20 जोनों के माध्यम से किया जाता है। कार्य की दृष्टि से खण्ड अत्यंत ही महत्वपूर्ण इकाई है। चूंकि प्रदेश में 441 खण्डों के सापेक्ष 325 डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) के पद स्वीकृत हैं, उक्त व्यवस्था में 116 खण्ड ऐसे रह जाते है जिसमें डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) तैनात नहीं हो सकते है । अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित नियमावली के नियम -3(3) के अन्तर्गत निम्न प्रकार व्यवस्था लागू की जाती है:-

(1) राजस्व की दृष्टि से समस्त खण्डों को 'ए ' एवं 'बी ' श्रेणी में विभाजित किया जाता है। राजस्व की दृष्टि से बड़े खण्ड ए श्रेणी में 325 की संख्या तक रहेंगे तथा कम राजस्व वाले 'बी ' श्रेणी के कुल 116 खण्ड होंगे । 'ए ' श्रेणी के खण्ड में असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी के साथ डिप्टी कमिश्नर भी तैनात रहेंगे तथा 'बी ' श्रेणी के खण्डों में मात्र असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी तैनात किए जायेंगे ।

(2) 'ए ' तथा 'बी ' श्रेणी के खण्डों के विभाजन के लिए समस्त जोन के एडीशनल कमिश्नर से खण्डों के राजस्व सम्बन्धी विवरण मंगाये जायेगे तदुपरान्त 'बी ' श्रेणी के 116 खण्ड चयनित होंगें।

'ए 'श्रेणी -

(3) 'ए ' श्रेणी के खण्डों में तैनात डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी के मध्य राजस्व के लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्य का विभाजन निम्न आधारों पर किया जाता है ।

(4) रु0 50 लाख से अधिक बिक्रयधन वाली निर्माता इकाई तथा रु0 एक करोड़ से अधिक करयोग्य टर्नोवर के सभी व्यापारी सम्बन्धित खण्ड के डिप्टी कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, परन्तु इस व्यवस्था में खण्ड में प्राप्त गत वर्ष के सकल राजस्व के आधार पर 70 प्रतिशत तक राजस्व पूर्ति करने वाले सबसे बड़े व्यापारी डिप्टी कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में आएंगे । इस प्रकार की व्यवस्था करने में यदि रु050 लाख से अधिक बिक्रयधन वाली निर्माता इकाई तथा रु0 एक करोड़ से अधिक कर योग्य टर्नावर के ट्रेडिंग के व्यापारियों से उक्त प्रतिशत पूरा न होता हो तो राजस्व के क्रम में उससे नीचे आने वाले व्यापारियों को ले लिया जायेगा। इसी प्रकार असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था रु0 15 लाख से रु050 लाख तक सकल बिक्रयधन वाली सभी निर्माता इकाई तथा रु0 25 लाख से रु0 एक करोड़ तक की टर्नोवर वाली सभी ट्रेडिंग इकाईयों को रखा जाएगा, परन्तु ऐसी व्यवस्था करते समय यह देख लिया जाय कि इस व्यवस्था में गत वर्ष के प्राप्त सकल राजस्व में से डिप्टी कमिश्नर के उपरोक्त सिद्धान्त के व्यापारियों द्वारा दिए गये राजस्व के अंश को छोड़कर शेष राजस्व का दो तिहाई राजस्व असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र के व्यापारियों से पूरा हो । यह पूर्ति न होने पर क्रम से निम्न स्तर के व्यापारी भी लिए जा सकते हैं ।

'बी 'श्रेणी -

(5) स्तम्भ (6) के मामलों को छोड़कर शेष 'बी ' श्रेणी के खण्डों में रु0 50 लाख से अधिक बिक्रयधन वाली निर्माता इकाईयों तथा रु0 एक करोड़ से अधिक टर्नोवर के व्यापारियों के कर निर्धारण का कार्य कमिश्नर द्वारा अधिकृत डिप्टी कमिश्नर करेंगे। इस श्रेणी के व्यापारियों से गत वर्ष में प्राप्त राजस्व के आधार पर आंकलित लक्ष्य तथा सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर के लक्ष्य को जोड़ते हुए उस डिप्टी कमिश्नर का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के बीच मौद्रिक सीमा तथा व्यापारियों के गत वर्ष के राजस्व के आधार पर विभाजन स्तम्भ-4 के अनरुप ही होगा।

(6) जिस मण्डल में केवल 'बी ' श्रेणी का ही खण्ड है और 'ए ' श्रेणी का कोई खण्ड या डिप्टी कमिश्नर कर निर्धारण नहीं है तो ऐसे समस्त व्यापारियों के लिए कर निर्धारण अधिकारी वहॉ पर तैनात असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी होंगे। ऐसे खण्ड के सभी व्यापारियों के असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के बीच मौद्रिक सीमा तथा व्यापारियों के गत वर्ष के राजस्व के आधार पर विभाजन स्तम्भ-4 के अनरुप ही होगा।

(7) 'बी ' श्रेणी के खण्डों में, जहॉ डिप्टी कमिश्नर तैनात नहीं होंगे, ऐसे खण्डों के गत वर्ष के प्राप्त राजस्व की दो तिहाई पूर्ति करने वाले व्यापारी तथा रु0 15 लाख से रु050 लाख तक बिक्रयधन वाली निर्माता इकाई तथा रु0 25 लाख से रु0 एक करोड़ तक की टर्नोवर वाली ट्रेडिंग इकाई असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी तथा शेष व्यापारी वाणिज्य कर अधिकारी के क्षेत्र में होंगे। इसी आधार पर लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित किए जाएंगे।

कार्यालय अभिलेख एंवं कार्य

(8) 'ए ' श्रेणी के खण्ड में डिप्टी कमिश्नर के लिए एक खातापालक अलग से आबंटित किया जायेगा जो उनसे सम्बन्धित पत्रावलियों का रखरखाव, लेजर, बकाया रजिस्टर, आई0टी0सी0 रजिस्टर, वि0अनु0शा0 एवं सूचना सम्बन्धी रजिस्टर तथा स्थगन रजिस्टर अलग से रखेगा। शेष सभी अपील, रिवीजन, रिफण्ड, समायोजन आदि रजिस्टर सभी अधिकारियों के लिए कार्यरत आलेखक-प्रालेखक / वरिष्ठ सहायक द्वारा सम्मिलित रुप से रखा जायेगा।

(9) 'बी ' श्रेणी के खण्डों में असिस्टेंट कमिश्नर एवं वाणिज्य कर अधिकारी के क्षेत्रों के व्यापारियों के उपरोक्त सभी रजिस्टर सम्मिलित रुप से रखे जायेंगे।

(10) रुपपत्रों की प्राप्ति, उनकी जॉच, राजस्व की दृष्टि से समीक्षा, कार्यवाही तथा लक्ष्य के लिए प्रत्येक स्तर का अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के व्यापारियों के सम्बन्ध में उत्तरदायी होगा।

उक्त प्रकार से की जा रही व्यवस्था के आधार पर वाणिज्य कर अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर एवं डिप्टी कमिश्नर तीनों अधिकारियों के मध्य मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण सम्बन्धित जोन के एडीशनल कमिश्नर द्वारा किया जायेगा एवं वांछित राजस्व लक्ष्य समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किये जायेगे। तीनों श्रेणी के अधिकारियों का अनुश्रवण मासिक रुप से सम्बन्धित सम्भागीय ज्वाइट कमिश्नर(कार्य0) एवं जोनल एडीशनल कमिश्नर करते रहेंगे। इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण यह है कि चूंकि लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है अत: अनुश्रवण करते समय सम्बन्धित अधिकारी लक्ष्य प्राप्ति में ध्यान दे रहे है अथवा नहीं, इस बिन्दु पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी।

उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।